न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15 / 451

1. प्रेमप्रकाश
2. भीमराज पिसरान स्व0 श्री चन्दा जी जाति बैरवा (लश्करी) निवासीगण ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती कान्ती बाई पुत्री स्व0 चन्दा जी पत्नी श्री अमर लाल जाति बैरवा (लश्करी) निवासी गिरधर कॉलोनी सीमेन्ट रोड रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. श्रीमती सावित्री पुत्री स्व0 चन्दा जी जाति बैरवा (लश्करी) निवासीगण ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. श्रीमती उषाबाई पुत्री स्व0 श्री चन्दा जी जाति बैरवा (लश्करी) निवासी सुकेत रोड कबीर कुटिया के पास रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. श्रीमती हीराबाई बेवा स्व0 श्री चन्दा जी जाति बैरवा (लश्करी) निवासी ग्राम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
7. श्रीमती आशा बाई बेवा स्व0 श्री राजेन्द्र जाति बैरवा (लश्करी) निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. वेदान्त
9. जयन्त पिसरान स्व0 श्री राजेन्द्र जी जाति बैरवा (लश्करी) नाबालिंगान जरिये वली माता स्वयं आशाबाई बेवा श्री राजेन्द्र जी जाति बैरवा निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. पिंकी बाई पुत्री स्व0 श्री राजेन्द्र जी जाति बैरवा लश्करी निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. हर्षी बाई
12. कृतिका बाई
13. सलोनीबाई
14. हिमांशी पिसारान स्व0 श्री राजेन्द्र जाति बैरवा (लश्करी) नाबालिंगान जरिये वली माता स्वयं श्रीमती आशाबाई बेवा स्व0 राजेन्द्र जाति बैरवा निवासी खान सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स एसोसियेट स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा लिमिटेड कुदायला औद्योगिक क्षेत्र रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान जरिये मुख्तारआम संतोष कुमार परच्या सीनियत मैनेजर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम कुम्भकोट की आराजी जिसके पुराने खसरा नम्बर 278 की रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 555 की रकबा 0.23 हैक्टर व खसरा नम्बर 279 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 554 की रकबा 1.32 हैक्टर कुल 02 किता की 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया और कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 से 15 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी कम्पनी के कब्जे स्वामित्व में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2015 के द्वारा प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 से 14 को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान आदि के द्वारा खुर्द–बुर्द नहीं करने तथा मौके तथा रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनायेय रखने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.09.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि पूर्व में लक्ष्मीनारायण कंवरया, सेवा के शामलाती खाते में दर्ज थी । उन्होंने उक्त भूमि अपीलान्ट कम 1 से 5 के पिता अपीलान्ट कम 6 के पति श्री चन्द्रा जी जाति बैरवा को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 06.05.69 को बेचान कर कब्जा संभला दिया था और उक्त बेचान के आधार पर उक्त भूमि चन्द्राजी के खातेदारी में दर्ज हो गई । चन्द्रा जी द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को कभी भी बेचान नहीं की गई । उक्त तथाकथित बेचान दिनांक 07.07.1997 एंव 10.08.1997 जो कि उपपंजीयक रामगंजमण्डी द्वारा उचित मुद्रांक शुल्क के अभाव में पंजीकृत नहीं किये गये थे तथा धारा 60 भारतीय पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पालना नहीं होने से अपूर्ण दस्तावेज थे । चन्द्रा जी जाति से बैरवा थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील

फरमाई जाकर अधीनसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 जावे ।

के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि पर डेन्ट का कब्जा काश्त है अपीलान्ट उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द रहन, बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है यदि दौराने वाद अपीलान्ट ने उक्त भूमि को रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपना कब्जा होना कथन किया है चूँकि उक्त भूमि वर्तमान में अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और दौराने वाद यदि उक्त भूमि को रहन, बेचान एंव अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दिया गया तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा